

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक : प-2(ई.सी.213)/जविप्रा/जे.सी.(एस.एम.)/2017/डी- 1218

दिनांक : 6/9/17


जयपुर विकास प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की 213वीं बैठक दिनांक 30.08.2017 का कार्यवाही विवरण

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
1.	213.1	कार्यकारी समिति की 212 वीं बैठक दिनांक 26.07.2017 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि।	कार्यकारी समिति की 212वीं बैठक दिनांक 26.07.2017 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गई।	
2.	213.2	कार्यकारी समिति की 212 वीं बैठक दिनांक 26.07.2017 में लिए गए निर्णयों की क्रियान्विति रिपोर्ट।	कार्यकारी समिति की 212वीं बैठक दिनांक 26.07.2017 में लिए गए निर्णयों की क्रियान्विति रिपोर्ट पर संतोष प्रकट किया गया।	
3.	213.3	जविप्रा की आवासीय योजना सूरजपुरा भाटावाला डेयरी योजना के भूखण्ड सं. 362ए के नियमितीकरण करने बाबत।	विचार-विमर्श पश्चात जविप्रा की आवासीय योजना सूरजपुरा भाटावाला डेयरी योजना के भूखण्ड सं. 362ए के आवंटी द्वारा नजराना राशि पाँच वर्ष से अधिक अवधि तक जमा नहीं करवाया गया है। क्योंकि पाँच वर्ष पश्चात भी प्रार्थी द्वारा राशि जमा नहीं करवाई गई है। अतः विचार-विमर्श पश्चात यह निर्णय लिया गया है कि आवंटन को नियमित किया जाना सम्भव नहीं है। उक्त भूखण्ड को उपायुक्त जोन-14	उपायुक्त जोन-14



क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
			द्वारा अपने कब्जे में लिया जाकर नीलामी हेतु वित्त शाखा को भेजे।	
4.	213.4	जविप्रा की आवासीय योजना देव विहार के भूखण्ड सं. सी-316 के नियमितीकरण करने बाबत।	विचार-विमर्श पश्चात जविप्रा की आवासीय योजना देव विहार के भूखण्ड सं. सी-316 के लिए देय राशि आवंटी द्वारा एक वर्ष पश्चात परन्तु दो वर्ष पूर्व जमा करवाए जाने के कारण उक्त भूखण्ड का नियमितीकरण करने का निर्णय लिया गया। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि नियमितीकरण करते समय डिस्पोजल ऑफ अरबन लैण्ड रूल्स, 1974 के रूल 17(5)(ii) के प्रावधानों का ध्यान रखा जावे।	उपायुक्त जोन-14
5.	213.5	राजस्व ग्राम सांगानेर में स्थित खसरा नम्बर 1259 में भूखण्ड संख्या 55 का पट्टा जारी करने बाबत।	राज्य सरकार द्वारा शहरी क्षेत्रों में आवासीय/व्यवसायिक समस्याओं के त्वरित समाधान हेतु “मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण योजना” बाबत दिशा-निर्देश के सम्बन्ध में जारी आदेश क्रमांक प.2(30)/नविवि/3/2016-पार्ट/1516-30 दिनांक 25.04.2017 के बिन्दु संख्या 21 में यह प्रावधान है कि ई.डब्ल्यू.एस./एल.आई.जी./60 वर्गमीटर से कम क्षेत्रफल के भूखण्डों/आवासों के आवंटन की राशि समय पर जमा नहीं होने के कारण निरस्त भूखण्डों/आवासों का नियमितीकरण राज्य सरकार के	उपायुक्त जोन-8



क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
			स्थान पर नगरीय निकायों द्वारा ही किया जा सकेगा। अतः उक्त आदेश के बिन्दु संख्या 21 के अनुसरण में राजस्व ग्राम सांगानेर में स्थित खसरा नम्बर 1259 में भूखण्ड संख्या 55 की नजराना राशि 2 वर्ष से अधिक अवधि तक जमा नहीं कराये जाने पर नियमितीकरण किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि नियमितीकरण करते समय डिस्पोजल ऑफ अरबन लैण्ड रूल्स, 1974 के रूल 17(5)(ii) के प्रावधानों का ध्यान रखा जावे।	
6.	213.6	जयपुर विकास प्राधिकरण की पृथ्वीराज नगर योजना क्षेत्र के जोन-पीआर.एन. (दक्षिण-प्रथम) एवं पी.आर.एन. (दक्षिण-द्वितीय) के क्षेत्रों का सीमांकन पुनः निर्धारित किये जाने की कार्योत्तर स्वीकृति बाबत।	विचार-विमर्श पश्चात जयपुर विकास प्राधिकरण की पृथ्वीराज नगर योजना क्षेत्र के जोन-पीआर.एन. (दक्षिण-प्रथम) एवं पी.आर.एन. (दक्षिण-द्वितीय) के क्षेत्रों का सीमांकन पुनः निर्धारित किये जाने सम्बन्धी कार्यालय आदेश क्रमांक प-14(25)जविप्रा/संस्था/98 दिनांक 04.08.2017 की पुष्टि करते हुए कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।	अति. आयुक्त (प्रशासन)
7.	213.7	Agenda note for approval of tender amounting to Rs, 31327628.45 of the work of "Rural Water Supply Scheme for Villages of Gram Panchayat Bhapura" in favour of M/s Ganpati Construction Co.	विचार-विमर्श पश्चात "Rural Water Supply Scheme for Villages of Gram Panchayat Bhapura" के लिए निविदा का अनुमोदन 60 दिवस उपरान्त किए	निदेशक अभियांत्रिकी प्रथम  सचिव,

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
			जाने के कारण राजस्थान लोक उपापन के पारदर्शिता अधिनियम, 2012 के अन्तर्गत कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत एजेण्डा के सम्बन्ध में न्यूनतम दरदाता मैसर्स गणपति कन्स्ट्रक्शन कम्पनी के पक्ष में "G-Schedule BSR" पर एजेण्डानुसार Part-A के लिए 25.6% कम दर पर राशि रूपए 2,88,39,628.44 एवं Part-B Non BSR item के लिए राशि रूपए 24,88,000.00 कुल राशि रूपए 3,13,27,628.45 की निविदा की स्वीकृति प्रदान की गई।	

अन्य बिन्दु आयुक्त महोदय की अनुमति से (SUPPLEMENTARY AGENDA)

8.	213.8	बक्सावाला योजना में आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग (EWS) अंतर्गत निर्मित आवंटित आवास की जमा मांग राशि रिफण्ड करने बाबत।	विचार-विमर्श में उपायुक्त जोन-14 द्वारा यह अवगत करवाया गया कि प्रार्थी द्वारा सर्वप्रथम 22.94 वर्ग मीटर का निर्मित आवास आवंटन के लिए आवेदन किया गया था। इसके पश्चात Lottery में उन्हें आवास संख्या GF/142 आवंटित किया गया जिसका वास्तविक क्षेत्रफल 22.94 वर्ग मी. के स्थान पर 42 वर्ग मी. निकला एवं इस कारण प्रार्थी को संशोधित मांग पत्र जारी किया गया। प्रार्थी द्वारा उक्त शेष राशि जमा करने में असमर्थ होने के कारण राशि वापस चाही जा रही है।	उपायुक्त जोन-14
----	-------	---	---	-----------------



क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
			विचार-विमर्श में उपायुक्त जोन-14 ने यह अवगत करवाया कि इस स्थान पर 22.94 वर्ग मी. का आवास उपलब्ध है। अतः यह निर्णय लिया गया कि प्रार्थी उपलब्ध अन्य आवास 22.94 वर्ग मी. का भूखण्ड लेने में इच्छुक है तो इस बाबत सर्वप्रथम उससे सहमति पत्र प्राप्त कर लिया जावे।	
9.	213.9	जयपुर विकास प्राधिकरण की आवासीय योजना गोविन्दपुरा के भूखण्ड संख्या 402 का पट्टा जारी करने बाबत।	विचार-विमर्श पश्चात जयपुर विकास प्राधिकरण की आवासीय योजना गोविन्दपुरा के भूखण्ड संख्या 402 के आवंटी द्वारा नज़राना राशि दो वर्ष से अधिक अवधि तक जमा नहीं करवाए जाने के कारण डिस्पोज़ल ऑफ अरबन लैण्ड रूल्स, 1974 के रूल 17(5)(ii) के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रकरण को राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु विस्तृत विवरण सहित प्रेषित किए जाने का निर्णय लिया गया।	उपायुक्त जोन-8
10.	213.10	Approval of EC regarding accepting PBG amounting to Rs. 41,27,063/- (@10% amount of the total cost to be paid) of M/s Reliance Communications Ltd.- ISP partner for Phase- 2 Smart City project- against the work of P2P connectivity & BW cost for the project and refund of Rs. 28,88,944/- deducted in the running bills against PBG	विचार-विमर्श पश्चात यह निर्णय लिया गया कि रु. 41,27,063/- की "Performance Bank Guarantee" "M/s Sterlite Technologies Ltd." से प्राप्त की जावे, क्योंकि इस कार्य के लिए वे मूल ठेकेदार हैं। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि M/s Reliance	निदेशक अभियांत्रिकी द्वितीय



(6)


क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
			Communications Ltd. को भुगतान किए गये राशि में से अब तक इस मद में कटौती की गई कुल राशि रु. 28,88,944/- वापस लौटाई जावें।	
11.	213.11	Approval of Tender for the work "Construction of various link roads in various gram panchyat in Jhotwara constituency area JDA Jaipur "	विचार-विमर्श पश्चात "Construction of various link roads in various gram panchyat in Jhotwara constituency area JDA Jaipur " के लिए निविदा का अनुमोदन 60 दिवस उपरान्त किए जाने के कारण राजस्थान लोक उपापन के पारदर्शिता अधिनियम, 2012 के अन्तर्गत कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत एजेण्डा के सम्बन्ध में न्यूनतम दरदाता मैसर्स Mohd. Ali Khan and Company के पक्ष में "G-Schedule based on JDA BSR, 2016" पर 33.89% कम दर पर राशि रूपए 2,29,14,997.50 की निविदा की स्वीकृति प्रदान की गई।	निदेशक अभियांत्रिकी द्वितीय
12.	213.12	Agenda regarding post facto approval of "Exemption from Potential Assessment for Maintenance of Traffic Signals & ATCS System in Jaipur".	विचार-विमर्श पश्चात एजेण्डा में उल्लेखित प्रस्तावानुसार "Exemption from Potential Assessment for Maintenance of Traffic Signals & ATCS System in Jaipur" की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।	निदेशक अभियांत्रिकी द्वितीय
13.	213.13	6000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल की भूमि का 200 फीट सेक्टर रोड में समर्पण बाबत।	विचार-विमर्श पश्चात एजेण्डा में प्रस्ताव अनुसार मुआवजें में भूमि का नियमानुसार आरक्षण पत्र तथा आवंटन	उपायुक्त जोन-8

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
			पत्र दिए जाने की स्तीकृति प्रदान की गई।	
14.	213.14	Regarding deleting condition approved in 183 rd meeting of Executive Committee held on 23.09.2013 regarding Bank Guarantee shall automatically be credited in the accounts of JDA in ICICI Bank, JDA Campus through IFSC Code NO..... Bank Account No..... on the date of expiry of its validity, unless the agencies get it re-validated well before its expiry date of produce NOC from JDA in writing for its release.	<p>विचार विमर्श के उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि:-</p> <p>1. कार्यकारी समिति की 183^{वीं} बैठक में निविदादाताओं द्वारा दी जाने वाली बैंक गारन्टी में जोड़ी गई निम्नलिखित शर्त को हटाने का निर्णय लिया गया:-</p> <p>"The amount covered under the above Bank Guarantee shall automatically be credited in the accounts of JDA in ICICI Bank, JDA Campus through IFSC Code No..... Bank Account Noon the date of expiry of its validity, unless the agencies get it re-validated well before its expiry date or produce NOC from JDA in writing for its release."</p> <p>2. निदेशक वित्त के आदेश संख्या प. 1(108)जविप्रा/अनि. (व्यय एवं बजट)/2016/डी-579 दिनांक 11.01.2017 के संबंध में संवेदक द्वारा कार्य के दौरान व कार्य के उपरान्त कार्य सम्पादन प्रतिभूति (performance security) को कायदेश की राशि के अनुसार दी गई बैंक गारन्टी स्वीकार करने का निर्णय लिया गया जो कि सामान्य अनुबन्ध की धारा 1 के अनुसार होगा।</p> <p>3. संवेदकों द्वारा दी गई बैंक गारन्टी</p>	निदेशक अभियंत्रिकी प्रथम



क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
			का कम्प्यूटर रिकॉर्ड रखने एवं इसकी बैधता अवधि समाप्त होने पर संबन्धित अधिकारियों को एलर्ट करने का सिस्टम विकसित करने का कार्य प्राधिकरण के कम्प्यूटर शाखा द्वारा किया जायेगा जिससे कि संबन्धित अधिकारियों को कम से कम एक माह पूर्व बैंक गारन्टी अवधि के बारे में सतर्क किया जा सकेगा।	

(एच. गुइटे)
सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर



सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

9

जयपुर विकास प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की 213वीं बैठक दिनांक 30.08.2017 को सायंकाल 04:30 बजे जयपुर विकास प्राधिकरण के सभाकक्ष 'मंथन' में श्री वैभव गालरिया, जयपुर विकास आयुक्त की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में उपस्थिति निम्न प्रकार रही :-

क्र. सं.	नाम सदस्य/अधिकारी	पद	विभाग	पदनाम
1.	श्री वैभव गालरिया	आयुक्त	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	अध्यक्ष
2.	श्री एन. सी. माथुर	निदेशक (अभियांत्रिकी-प्रथम)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य
3.	श्रीमती लवंग शर्मा	निदेशक (आयोजना)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य
4.	श्री बृजेश कुमार	निदेशक (वित्त)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य
5.	श्री रमेश कुमार आर्य	सहायक विधि परामर्शी	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य के प्रतिनिधि
6.	श्री लोकेश सोनवाल	अति. पुलिस उपायुक्त मुख्यालय	पुलिस आयुक्तालय, जयपुर	सदस्य के प्रतिनिधि
7.	श्री एस. सी. जैन	तकनीकी सहायक, मुख्य अभियन्ता	जयपुर विद्युत वितरण निगम लि.	सदस्य के प्रतिनिधि
8.	श्री कमल के पारीक	महाप्रबन्धक, जयपुर जोन	राज. राज्य पथ परिवहन निगम	सदस्य के प्रतिनिधि
अन्य अधिकारी उपस्थित				
9.	श्री ललित शर्मा	निदेशक (अभियांत्रिकी-द्वितीय)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
10.	श्री अशोक चौधरी	अति. मुख्य अभियन्ता (पीएचई)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
11.	श्री सुरेन्द्र सिंह यादव	उपायुक्त जोन-14	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
12.	श्री अशोक कुमार चौधरी	उपायुक्त जोन-8	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
13.	श्री वेद प्रकाश वर्मा	अधीक्षण अभियन्ता-12	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
14.	श्री एस.सी. मीणा	अधीक्षण अभियन्ता- (विद्युत)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
15.	श्री देवेन्द्र गुप्ता	अधीक्षण अभियन्ता	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
16.	श्री संजय शर्मा	अधीक्षण अभियन्ता-14	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
17.	श्री एन. के. सिधल	अधीक्षण अभियन्ता-V	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
18.	श्री बी. एल. जाटव	अधीक्षण अभियन्ता	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
19.	श्री जी.एल. शर्मा	अधिक्षापी अभियन्ता (विद्युत-II)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
20.	श्री रमेश शर्मा	अधिक्षापी अभियन्ता-III	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
21.	श्री मुकेश कुमार मीणा	अधिक्षापी अभियन्ता (पीएचई-I)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
22.	श्री विवेक शर्मा	अधिक्षापी अभियन्ता	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

(10)

क. सं.	नाम सदस्य/अधिकारी	पद	विभाग	पदनाम
23.	श्री जी.एल. अग्रवाल	अधिकाारी अभियन्ता 12ए	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
24.	श्री देवेश गुप्ता	नोडल ऑफिसर, स्मार्ट सिटी	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
25.	श्री राजीव सिंघल	सहायक अभियन्ता (विद्युत)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
26.	श्रीमती ऊषा जैन	विशेषाधिकारी (पी.आर.)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	



सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक प-2(ई.सी.213)/जविप्रा/जे.सी.(एस.एम.)/2017/डी-12/8

दिनांक: 6/9/17

प्रतिलिपी निम्न को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न है:-

क्र.स.	पद	विभाग का नाम
1	विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय	नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान सरकार।
2	अतिरिक्त मुख्य सचिव	नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3	आयुक्त	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
4	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक	रीको, जयपुर।
5	प्रबन्ध निदेशक	राजस्थान पर्यटन विकास निगम, जयपुर।
6	प्रबन्ध निदेशक	राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर।
7	जिला कलक्टर	जिला कलक्ट्रेट, जयपुर।
8	पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय)	पुलिस आयुक्तालय, जयपुर।
9	सचिव	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
10	मुख्य अभियन्ता	सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
11	मुख्य अभियन्ता	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर।
12	मुख्य अभियन्ता	जयपुर विद्युत वितरण निगम लि.जयपुर।
13	निदेशक (विधि)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
14	निदेशक (अभियांत्रिकी-प्रथम/द्वितीय)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
15	निदेशक (नगर आयोजना)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
16	निदेशक (वित्त)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
17	अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन/पूर्व/पश्चिम/पुनर्वास/एल.पी.सी./भूमि)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
18	संयुक्त आयुक्त (सिस्टम मैनेजमेन्ट)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
19	उपायुक्त जोन.....	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
20	सिस्टम एनालिस्ट	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
21	सहायक निदेशक (जन-सम्पर्क)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

सचिव
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।